

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

(बिहार सरकार का उपक्रम)

कॉर्पोरेट पहचान सं० (CIN)- U45200BR1974SGC001126

प्रधान कार्यालय-कौटिल्य नगर, बि०वि०स०पु०-5, थाना-हवाई अड्डा थाना, पटना-800014.

कमल किशोर प्रसाद
मुख्य अभियंता



मोबाईल नं० : 9431011637
वेबसाइट : www.bpbcc.bihar.gov.in
फैक्स नं० : 0612-2224529

पत्र संख्या : 140 1218

दिनांक :- 3/4/2025

कार्यालय आदेश 250 175/2025

विषय:- अल्पकालीन ई०-निविदा आमंत्रण सूचना संख्या-38/SBD/2023-24 के निरस्त करने के संबंध में।

1. eNIT No.-26/SBD/2021-22 के अंतर्गत दिनांक 10.02.2022 को निर्माण कार्य-नालंदा जिलान्तर्गत बिहार पुलिस एकेडमी राजगीर में महिला एवं पुरुष सिपाहियों के प्रशिक्षण एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने हेतु एकेडमी के प्रांगण में 4000 सिपाहियों के बैरक (2000 महिला एवं 2000 पुरुष) (G+4) तथा दो अदद ट्रेनिंग क्लास रूम (G+4) का विद्युतिकरण सहित निर्माण कार्य की निविदा आमंत्रित कि गई परंतु प्राप्त चार निविदा के तकनीकी मूल्यांकन के उपरान्त केवल 01 सफल निविदा होने के कारण नियमानुसार उक्त कार्य के लिए पुनर्निविदा किये जाने का निर्णय लिया गया।
2. उपर्युक्त निर्णय के आलोक में निगम द्वारा ई-निविदा सूचना सं०-08/SBD/2022-23 के माध्यम से पुनर्निविदा दिनांक-30.05.2022 को आमंत्रित की गयी। इस निविदा सूचना के अन्तर्गत दो निविदाकार यथा 1. M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (Joint Venture) एवं 2. Shree Balaji Engicons Ltd. के द्वारा निविदा प्राप्त हुई। तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा मात्र एक निविदाकार Shree Balaji Engicons Ltd. की निविदा सफल पायी गयी। अतः दिनांक-16.08.2022 को उन्हें कार्यवांटन करने का निर्णय लिया गया। परन्तु कार्यवांटन के पश्चात् दूसरे निविदाकार M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (Joint Venture) से प्राप्त परिवाद में वर्णित तथ्यों के आलोक में समीक्षा के उपरान्त दिनांक-14.09.2022 को उपर्युक्त निविदा को रद्द करने का निर्णय लिया गया।
3. पुनः तीसरी बार पुनर्निविदा दिनांक-26.10.2022 को ई-निविदा सूचना सं०-15/SBD/2022-23 के माध्यम से आमंत्रित किया गया। निविदा अपलोड करने की अंतिम तिथि-18.11.2022 तक प्राप्त 05 निविदा के तकनीकी मूल्यांकन एवं वित्तीय बीड के उपरान्त संवेदक M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (Joint Venture) को दिनांक-25.01.2023 को कार्यवांटन का निर्णय लिया गया।
4. संवेदक M/s Prasad Construction & Company ने इस कार्यवांटन के विरोध में माननीय पटना उच्च न्यायालय में CWJC No-3913 of 2023 दायर किया जिसमें सुनवाई के पश्चात् माननीय पटना उच्च न्यायालय के दिनांक-18.10.2023 को पारित आदेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“ 37. From the aforesaid discussions, we have no hesitation in holding that the official respondents acted arbitrarily and such action must be deprecated in strongest terms and the same calls for interference by this Court.

38. Accordingly, Re-tender no. 15/SBD/2022-23 dated 26.10.2022 (Annexure-2), the decision of the Technical Bid Committee dated 24.01.2023 (Annexure-4) and the Letter no.1994 dated 06.02.2023 (Annexure-7) are set aside. The respondent authorities are directed to proceed afresh in accordance with law.

39. It goes without saying that pending bills of the respondent no.9, if any, pursuant to re-tender no.15/SBD/2022-23 and work order dated 06.02.2023 be paid to him by the concerned authorities, as the respondent no. 9 has taken a plea in its counter affidavit that the bills amounting to Rs.8.50 crores for the work done by him have already been submitted for its payment before the concerned authority.”

5. माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (JV) के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में Special Leave Petition (Civil) No. 25282 of 2023 दाखिल किया गया है जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-15.01.2025 को पारित आदेश निम्नवत् है:-

“ It is submitted by the learned counsel for the respondent that this Special Leave Petition has been rendered infructuous and is only of academic interest. We hence dispose of this Special Leave Petition by directing the respondent-Corporation to go ahead with the fresh tender, in accordance with law.”

6. उल्लेखनीय है कि संदर्भित मामले में माननीय पटना उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-18.10.2023, के आलोक में निर्माणाधीन कार्य “Construction of 4000 Constable Barrack Building and Class Room at Bihar Police Academy, Rajgir” की मापी कराकर संवेदक M/s Govinda Construction - Arvind Kumar (JV) को कराये गये कार्य का भुगतान दिनांक-11.11.2023 को कर दिया गया।

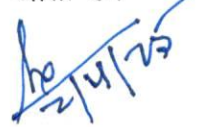
7. इस निर्माण के शेष कार्य के लिए eNIT-38/SBD/2023-24, दिनांक-02.11.2023 को प्रकाशित की गयी जिसके सापेक्ष में निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि-22.11.2023 तक निम्नांकित 02 निविदाकारों से निविदा प्राप्त हुई:-

1. M/s Prasad Construction & Company,
2. M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (JV)

8. उपर्युक्त निविदा eNIT-38/SBD/2023-24 के विरुद्ध प्राप्त निविदाओं का तकनीकी मूल्यांकन समिति का प्रतिवेदन दिनांक-04.07.2024 को निगम के वेबसाइट पर अपलोड किया गया एवं 03 दिनों के अन्तर्गत यदि कोई आपत्ति हो तो व्यक्त करने को कहा गया।

9. तकनीकी मूल्यांकन समिति के उपर्युक्त प्रतिवेदन के जवाब में M/s Govinda Construction-Arvind Kumar (JV) से एक पत्र दिनांक-08.07.2024 को प्राप्त हुआ। जिसमें Hon'ble Supreme Court में SLP लंबित होने के कारण आगे की कार्रवाई नहीं करने का अनुरोध किया गया।

10. उपर्युक्त आदेश के उपरांत 38/SBD/2023-24 के अन्तर्गत प्राप्त निविदा के तकनीकी मूल्यांकन की कार्यवाही हेतु दोनों निविदाकारों के निविदा में बीड को BID Validity दिनांक-30.04.2025 तक एवं अग्रधन के रूप में जमा बैंक गारंटी की वैधता दिनांक-30.06.2025 तक विस्तार हेतु निगम द्वारा अनुरोध पत्र दिनांक-02.01.2025 को प्रेषित किया गया।
11. a) निविदाकार M/s Govinda Construction ने अपने पत्र संख्या-GCAK/2024-25/05, दिनांक-03.01.2025 द्वारा अपनी BID Validity निगम के पत्रांक के अनुसार 30.04.2025 बढ़ाने की सहमति के साथ बैंक गारंटी की वैधता 30.06.2025 तक बढ़ा दिया।
b) निविदाकार M/s Prasad Construction & Co. ने अपने पत्र संख्या-शुन्य, दिनांक-04.01.2025 के द्वारा अपने बैंक गारंटी की वैधता 30.06.2025 तक एवं Bid Validity दिनांक-30.04.2025 तक बढ़ा दिया।
12. निविदाकारों की सहमति पश्चात्, पूर्व में दिनांक-04.07.2024 को सम्पन्न तकनीकी मूल्यांकन समिति की कार्यवाही, जिसमें दोनों निविदाकारों के निविदा को मान्य योग्य पाया गया था, को दिनांक-19.02.2025 को पुनः उनके E-mail एवं निगम के वेबसाइट पर भेजा गया एवं उन्हें तीन दिनों के अंतर्गत यदि कार्यवाही के विरुद्ध कोई आपत्ति हो तो व्यक्त करने को कहा गया।
13. तत्पश्चात् M/s Govinda Construction अपने पत्रांक-GCAK/2024-25/06, दिनांक-20.02.2025 एवं निविदाकार M/s Prasad Construction & Co. अपने पत्रांक-PCC/Police/03/2025/84, दिनांक-17.03.2025 के द्वारा अपनी निविदा वापस लेने एवं EMD की राशि वापस करने का आवेदन दिया है।
14. चूंकि उक्त निविदा eNIT-38/SBD/2023-24 में प्राप्त कुल दो निविदा के निविदाकारों ने अपनी निविदा वापस लेने का आवेदन दिया है, अतः इस निविदा में कोई निविदाकार शेष नहीं होने के स्थिति में नियमानुसार यह निविदा रद्द किया जाता है।


मुख्य अभियंता